ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा – 846004

पत्रांक C/IC/1361/21 दिनांक 01/12/2021

सेवा में,

प्रधानाचार्य / सचिव,
सभी संबद्ध डिग्री महाविद्यालय,
ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय क्षेत्रान्तर्गत।

विषय : संबद्ध महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों का पद सृजन करने तथा आंतरिक स्त्रोत से प्राप्त आय का 70% भुगतान संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षाकर्मियों तथा कर्मचारियों को करने संबंधी न्यायादेश, राज्यादेश का अनुपालन करने के संबंध में।

संदर्भ : LNMU/IC/2070/21 dated 07.07.2021 & LNMU/IC/2084-85/21 dated 12.08.2021

महाशय,

उपुर्यक्त विषय के संदर्भ में पुनः निदेशानुसार सूचित करना है कि निम्नलिखित विन्दुओं पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे :–

1. अपने महाविद्यालय के कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सूची शासी–निकाय से अनुमोदित कराकर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. महाविद्यालय के शिक्षक तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को न्यायादेश एवं राज्यादेश के आलोक में आंतरिक स्त्रोत से प्राप्त राशि का 70% भुगतान करने से संबंधित प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सम्पूर्ण सूची तथा आंतरिक स्त्रोत से महाविद्यालय में हो रही आय एवं व्यय का व्योरा महाविद्यालय के बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
4. वैसे महाविद्यालय जिन्हें राज्य सरकार से अनुदान की राशि प्राप्त होती है वो राज्य सरकार के वेबसाईट www.education.bih.nic.in (Performance Grants Portal) पर अनुदान प्राप्त करने वाले शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की विवरणी अनिवार्य रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

उपर बिन्दु 01 से 03 के प्रसंग में एक सप्ताह के अभ्यंतर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने पर यदि भविष्य में न्यायालय अथवा राज्य सरकार में कोई मामला उठता है तो उसकी सारी जिम्मेवारी आपकी होगी।

कृपया इस संबंध में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई कर अनुपालन प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को कथित समय सीमा के भीतर प्रेषित करेंगे। अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,

01.12.21

कुलसचिव

30/11/21